न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 566 सन 2018
अनवान :–

1. धर्मपाल 2 मनीराम पि0 भादरराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

बनाम

1. भादरराम पुत्र दुदा जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. इन्द्राज 3 महेन्द्र 4 अमरसिह 5 श्योनारायण पि0 भादरराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. धर्मा 7 हरकोरी 8 इन्द्रावती पि0 भादरराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 11.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता संख्या 44/43 के प0न0 363/462(29) के किला न0 6/0.21505हैक , 7 ता 10 ,14 /प्रत्येक 0.253हैक प0न0 0 मु0न0 52/10 के किला न0 0/2 की 0.0380हैक गै0मु0रास्ता कुल 1.5180हैक व रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 197/190 के खसरा न0 71/2 की 1.7450हैक , खसरा न0 156/2 की 2.5040हैक , खसरा न0 293/1 की 2.8300हैक , खसरा न0 335/1 की 0.6440हैक , खसरा न0 336/1 की 1.6600हैक कुल 9.3830हैक भूमि व रोही मौजा चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 69/69 की कुल 1.4170हैक भूमि भादरराम पुत्र दुदाराम खातेदार काश्तकार थे।

वादी के दादा भादरराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई और प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 197/190 की कुल 9.3830हैक व चक 6 आरएमजी के खाता संख्या 44/43 की 1.51805हैक व चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 69/69 की कुल 1.4179हैक भूमि आई है विरासतन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 6 ता 8 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1, 6 ता 8 जो वादी की पिता/बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार बादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा बडबिराना के खाता सख्या 197/190 की कुल 9.3830हैक एवं रोही मोजा चक 6 आरएमजी के खताा संख्या 44/43 की कुल तादादी 1.51805हैक , एवं चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 69/69 की कुल 1.4170हैक भूमि मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 11.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official